कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा

प्रथम निविदा फार्म एवं शर्ते
वर्ष 2015–16

कीमत रू. 5000/–
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा फार्म का मूल्य रू. 5000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक..........................

रसीद क्र...

दिनांक.........................

गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

निविदा प्रपत्र

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2015–2016

कोरे निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	05.11.2015 सायं 3 बजे तक
भरी हुई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	17.11.2015 सायं 3 बजे तक
प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	18.11.2015 दोपहर 12:30 बजे
अमानत राि ा रू.	रू.300000.00 (एक लाख) डी.डी
निविदा प्रपत्र भाुल्क	रू. 5000.00 (पांच हजार)डी.डी

नियम एवं भार्ते

1. निविदा पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा । निविदाये दिनांक 18.11.2015 को अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभाकक्ष मे दोपहर 12:30 बजे खोली जावेगी , जिसमे निविदाकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें हैं।
2. निविदा फार्म चिकित्सा महाविद्यालय की बेबसाइट www.ssmcrewa.com से डाउनलोड भी किये जा सकतें है। निविदा फार्म बेबसाइड से डाउनलोड कर प्राप्त करने की स्थिति में निविदाकार को निविदा फार्म की मूल्य का बैंक ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम तथा निधार्रित तिथि .05.11.2015 को 3 बजे के पूर्व का हो को संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के कार्यालय मे भरे हुये निविदा फार्म जमा करने के पूर्व जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा, ऐसा नही करने की स्थिति में निविदा स्वीकार नही की जावेगी । निविदा फार्म शुल्क की राशि वापस नही की जावेगी।
3. निविदा के साथ रू. 300000.00 (तीन लाख) मात्र की अमानत राि ा के रूप में किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
4. निविदा प्रपत्र की प्रविश्टियों में उपरिलेखन एवं काट–पीट वर्जित है। निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृश्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना एवं सील लगाना अनिवार्य होगा ।

5.. सुरक्षा हेतु 65 सुरक्षा कर्मियों एवं 3 सुरक्षा सुपरवाइजरों की आवश्यकता होगी। यदि कभी और सुरक्षा कर्मियों की आवयकता होगी, तो इसी दर पर सुरक्षा कर्मियों को

प्रदान करना अनिवार्य होगा।

6. निविदा दाता को सुरक्षा एजेंसी की स्थापना का पंजीयन प्रमाण की स्व–प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।

7. सुरक्षा एजेंसी के लिये पुलिस विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है जिस क्षेत्र मे वह स्थित है।

8. सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कार्य प्रति वर्ष कम से कम रू. 30 लाख का होना अनिवार्य है। सी.ए. का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा ।

9. सुरक्षा एजेंसी को कार्यरत् 100 कर्मचारियों वाले शासकीय कार्यालय/संस्था/अस्पताल मे सुरक्षा कार्य का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। कार्य अनुभव के प्रमाण मे कार्यआदेश की प्रति लगाना अनिवार्य होगा।

10. निविदाकार को सेवा कर प्रदाता के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. निविदा के साथ निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2012–013, 2013–14 एवं 2014–2015 का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य कर बकाया न होने का शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित करा कर देना होगा।

12. सुरक्षा एजेंसी संस्था की वर्षान्त 2012–013, 2013–14 एवं 2014–2015 की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की स्व–प्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण न लगाया जावें।

13. **अ.** सुरक्षा कर्मी का प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। सुरक्षा कर्मी किसी मान्य संस्था या सेवानिवृत्ति सैनिक अधिकारी से प्रशिक्षित होना चाहिये। कार्य प्रारम्भ करने पर 45 दिन के भीतर पुलिस सत्यापन कराकर पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।

    ब. सुरक्षा एजेंसी का आई.एस.ओ. प्रमाणित होना अनिवार्य है। जो संस्था आई.एस.ओ. प्रमाणित नही है वह आवेदन करने के लिये पात्र नही है।

14. फर्म श्रम एवं अन्य वैधानिक कानून के पालन के लिये जबाबदार रहेगी । आवश्यक पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। फर्म को कार्य पर रखे गये कर्मचारियों के संबंध मे श्रम अधिनियम 1970 का पालन करना होगा एवं प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेगा । निविदाकार को सुरक्षाकर्मियों का भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा। इस हेतु कर्मचारियों के बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।खाता पंजाब नेशनल बैंक मेडिकल कालेज शाखा रीवा मे खोलना होगा।

15. तकनीकी बिड मे अगर निविदाकार द्वारा कोई भी असत्य जानकारी दी जाती है तो प्रबंधन द्वारा तत्काल निविदा अमान्य/निरस्त कर दी जावेगी तथा सुरक्षा राशि (धरोहर राशि) राजसात कर द्वितीय ठेकेदार को दे दी जावेगी जिसके लिये निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

16. सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित मासिक अर्द्ध कुशल मजदूरी दर से कम का भुगतान निविदाकार द्वारा नही किया जावेगा। निविदा स्वीकृत दर से कम राशि का

भुगतान की शिकायत आने पर अधिष्ठाता/अधीक्षक द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

17. अनुबंध के समय निविदाकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों की सूचीमय फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं निविदाकार द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य न करने पर देयक के भुगतान मे यदि विलम्ब होता है तो निविदाकार द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से सुरक्षा कर्मियों का भुगतान नियत समय पर किया जाना अनिवार्य होगा।

18. **निविदा मे तकनीकी रूप से योग्य घोषित फर्मो की ही प्राइस बिड खोली जायेगी, अतः आवेदक निविदाकार अर्नेस्ट मनी, तकनीकी बिड (प्रपत्र ए) एवं प्राइस बिड (प्रपत्र बी) अलग–अलग दो लिफाफों में सील बंद करके उन्हें एक बडे लिफाफें सी मे रखकर तथा उसे भी सीलबंद कर प्रस्तुत करेगें।**

19. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 1000 रू. के नान जूडिसियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिस पर निविदाकार एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा के हस्ताक्षर होगें।

20. संविदा शर्तो के उल्लघंन एवं सुरक्षा कर्मियों के आचरण संबंधी उल्लघंन होने पर संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक को प्रति प्रकरण रू. 1000/– तथा अधिष्ठाता को रू. 5000/– तक दण्ड लगाने का अधिकार होगा। जिसकी वसूली निविदाकार के आगामी भुगतान से की जावेगी।

21. सुरक्षाकर्मी का कम से कम 10 वीं पास होना अनिवार्य होगा तथा हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान हो।

22. सुरक्षा कर्मियों को शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिये। सुरक्षाकर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये। सुरक्षा सुपरवाइजर का कम से कम स्नातक पास होना अनिवार्य है ।

23. यह फर्म की जबाबदारी होगी कि अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी, नेमप्लेट, मोजा, सीटी, डण्डा , जूता, रेनकोट, सुरक्षा सामग्री आदि उन्हें उपलब्ध करायें। वर्दी का रंग निविदाकार द्वारा स्वयं घोषित किया जावेगा एवं ठेका मिलने पर तदानुसार रखना होगा। ड्यूटी के साथ प्रत्येक कर्मचारी को नेमप्लेट भी लगाना होगी। वर्दी पर निविदाकार संस्था के नाम का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

24. **निविदा अनुबंध की अवधि ठेका प्रारंभ होने के दिनांक से 3 वर्श के लिये होगी । आदेश प्रथमतः 1 वर्ष के लिये जारी किया जावेगा ,कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ठेका अवधि मे आगामी एक वर्ष की वृद्दि की जावेगी। वृद्दि के समय लागू कलेक्टर दर देय होगी।**

25. सुरक्षा सुपरवाइजर तथा सुरक्षाकर्मी किसी भी एक स्थल पर दो माह से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगें तथा समस्त सुरक्षाकर्मियों को बारी–बारी से ड्यूटी लगाना सुरक्षा एजेंसी

का दायित्व होगा। सुरक्षाकर्मियों को पार्किंग स्थल पर पार्क किये गये समस्त वाहनों की चैकिंग करना होगी तथा वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडे हो यह सुनिश्चित करना होगा।

26. निविदादाता सुरक्षा व्यवस्था करने मे यदि असफल होता है तथा वह स्वयं ठेका छोडता है तो उस स्थिति में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया जावेगा एवं शेष अवधि का ठेका द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता को दिया जा सकेगा। संधारण ठेके पर यदि अधिक राशि व्यय करनी पडी तो स्वीकृत ठेके के अन्तर की राशि पूर्व निविदादाता से वसूल की जावेगी। साथ ही सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।

27. सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सुपरवाइजर, निविदाकार संस्था द्वारा नियुक्त किये जावेगें तथा भुगतान निविदाकार द्वारा ही किया जावेगा। सुपरवाइजर सीधे संबंधित जो क्षेत्र उन्हें सौंपा गया है वहॉ के चिकित्सालयों के अधीक्षक एवं महाविद्यालय मे वार्डन एवं मुख्य वार्डन छात्रावास, चिकित्सा महाविद्यालय को रिपोर्ट करेगें तथा उनकी संतोषजनक रिपोर्ट एवं सत्यता के आधार पर भुगतान किया जावेगा। सुरक्षाकर्मियों, सुरक्षा सुपरवाइजर का भुगतान निविदाकार द्वारा अधीक्षक एवं वार्डन की संतोषजनक कार्य की अनुशंसा के साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विलम्ब के लिये निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा। निविदाकार द्वारा नियोजित कर्मियों को समय पर भुगतान करना भी निविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

28. फर्म की किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण मेडिकल कालेज, चिकित्सालयों को अथवा उसकी सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की हानि होने पर फर्म से वसूली योग्य होगी एवं यह वसूली जमा की गयी अमानत राशि एवं फर्म के देयक की राशि मे से नियमानुसार वसूल की जा सकेगी। यदि किसी प्रकार की हानि मेडिकल कालेज से सम्बद्व चिकित्सालयों को नही होती है तो उस स्थिति मे फर्म को उक्त राशि समयावधि के पश्चात् मूलतः वापिस की जावेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। फर्म से स्त्रोत पर आयकर नियमानुसार कटौती योग्य होगा।

29. सभी विवादों के निपटारे हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर अनुबंध को बिना पूर्व सूचना व किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का होगा।

30. यदि स्वीकृत निविदादाता के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण आपसी चर्चा कर किया जावेगा तथा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक कार्यवाही के लिये न्यायिक क्षेत्र रीवा होगा।

31. निविदाकर्त्ता को ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स आदि की राशि उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये सभी कर्मियों हेतु नियमानुसार संबंधित कार्यालयों में प्रतिमाह जमा कराना

होगी। इसके प्रमाण स्वरूप सभी जमा चालानों की प्रतियॉ आगामी देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी अन्यथा आगामी देयक स्वीकार नही किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार फर्म की होगी।

32. राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सभी करों एवं शुल्कों की दरों के बारे मे प्रमाण के तौर पर केन्द्र एवं राज्य शासन के संबंधित आदेशों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

33. निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी एक शर्त का पालन नही किया जाता है तो उसकी निविदा प्रतिस्पर्धा से बाहर रखी जा सकेगी। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी रहेंगा। तथा इस संबंध मे किसी प्रकार का पत्राचार नही किया जावेगा।

34. निविदाकर्त्ता द्वारा प्रति सुरक्षा कर्मी प्रतिमाह की जो दर टेन्डर फार्म मे अंकित की जावेगी वह केन्द्र तथा राज्य शासन के सभी प्रकार के अंशदानों, टैक्सों, शुल्कों एवं अन्य करों आदि को मिलाकर होना चाहिये।

35. कार्य सम्पादन के दौरान सुरक्षाकर्मी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना/मृत्यु आदि होने पर उसका पूर्ण दायित्व संबंधित निविदाकर्त्ता का होगा तथा उक्त हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान/मुआवजा इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा। सुरक्षाकर्मी की दुर्घटना/मृत्यु आदि का बीमा फर्म की जिम्मेदारी होगी।

36. ठेका प्रारम्भ होने के बाद निविदाकार को अपना प्रतिमाह का देयक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच. रीवा से संतोषजनक कार्य प्रमाणित करवाकर अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा के कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा। अधीक्षकों, वार्डन द्वारा सत्यापन के समय कार्य आदि के प्रति असंतोषप्रद कार्य व्यक्त करने पर अथवा शिकायत का उल्लेख होने पर देयक मे से प्रति दिन न्यूनतम रू. 1000/– तक कटौती की जाकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

37. कोई भी सुरक्षाकर्मी किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नही करेगा। नशे की स्थिति मे पाये जाने पर तथा अभद्रता तथा अन्य शिकायत प्राप्त होने पर तथा पुष्टि होने पर प्रबंधन द्वारा निर्देश देने पर उक्त सुरक्षाकर्मी को तत्काल सेवा से पृथक करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा। उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी।

38. निविदा प्रपत्र मे केवल राशियॉ अंकित की जावेगी उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या नोट या शर्ते लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

39. उपरोक्त ठेके के संदर्भ मे प्रत्येक प्रकरण मे अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

40. तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही प्राइस बिड खोली जावेगी।

द. कर्त्तव्य एवं दायित्व –(संतोषजनक कार्य के मापदण्ड नियमानुसार होगें)

41 24 घण्टे सुरक्षाकर्मियों द्वारा मरीज के भर्ती के समय तथा मरीज की छुट्‌टी के समय सुरक्षा जॉच करनी होगी, तथा अस्पताल में स्टोब, गैस, हथियार, नुकीले चीजें, नसीले पदार्थ, अनावश्यक सामग्री,पालीथील, ज्वलनशीन पदार्थ, खानपान की वस्तुओं (मरीज का खाना, चाय, दूध, तैयार खाना आदि छोडकर) इत्यादि के प्रवेश पर पाबंदी होगी।

42. सुरक्षाकर्मियों को सम्पूर्ण अस्पताल मे लगातार भ्रमण कर यह सुनिश्चित करना होगा, कि एक मरीज के साथ एक ही परिजन उपस्थित रहे तथा यह देखना होगा कि कोई परिजन अस्पताल के अंदर फिजूल न बैठा रहे, अन्य संदिग्ध गतिविधियों मे लिप्त न हो, गंदगी न कर रहा हो।

43. सुरक्षा एजेंसी को अस्पताल परिसर मे किसी झगडे/मारपीट के मामले मे तत्काल कार्यवाही कर चिकित्सकों, मरीजों एवं मरीजों के उपस्थित परिजनों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा पुलिस से सहायता लेकर प्राथमिकी दर्ज कराना होगी। प्राथमिकी दर्ज कराना सुरक्षा एजेंसी का दायित्व होगा।

44. किसी प्रकार की निर्माण सामग्री उपकरण अन्य सामग्री कालेज, चिकित्सालय, छात्रावास परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश नही कर पाये यह जिम्मेदारी संबंधित सुरक्षा एजेंसी की होगी। इस कार्य हेतु एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमे प्रत्येक वाहन का नम्बर अंकित होगा तथा सामग्री/उपकरण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों मे निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से संचालित होते है अतः सामग्री प्रवेश के लिये लोक निर्माण विभाग की अनुमति ली जा सकेगी।

45. फर्म की जबाबदारी रहेगी कि चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालयों, छात्रावासों एवं पूर्ण परिसर मे कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रवेश न करे। यदि शंका होती है तो सुरक्षा कर्मी अधिकारियों आगंतुकों द्वारा लाई गई सामग्री, ब्रीफकेश, बेग व उनके वाहनों की जॉच कर सकते है। शंकास्पद व गैर कानूनी सामग्री पाये जाने पर सक्षम अधिकारियो को सूचित करेगें। ऐसी कार्यवाही करने मे फर्म द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय को सहयोग देना अनिवार्य होगा।

46. सायंकाल 3.00 बजे से 5.00 बजे तक की समयावधि में रोगियों से भेंट करने वालों का समय निर्धारित रहेगा। इस अवधि मे व्यवस्था की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

47. सुरक्षाकमियों को बाहर से आने वाले मरीजों को तथा जरूरमंद मरीजों तथा परिजनों को हर प्रकार की मदद प्रदाय करनी होगी जैसे अस्पताल से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान कराना। इस हेतु चिकित्सक, दाई, आया, मैट्रन, भोजन वितरण कर्मचारी , सफाई कर्मचारी इत्यादी समस्त स्टाफ से सामंजस्य बैठाकर मदद कार्य सम्पादित कराना अनिवार्य होगा।

48. महाविद्यालय/चिकित्सालय परिसर मे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी संबंधित सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं एजेंसी के तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अस्पताल/महाविद्यालय के रास्तों मे कोई व्यक्ति

खडे रहकर अवरोध उत्पन्न न करे। अस्पताल/महाविद्यालय/छात्रावास परिसर मे कुत्तें, गाय, भैस, आदि जानवर इत्यादि आने से/रहने से रोकने का दायित्व एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों का रहेगा। सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रतिमाह दिनांक 25 तक संबंधित विभागाध्यक्ष/अधिकारी को लिखित मे सूचना देनी होगी कि उक्त विभाग/स्थल पर कौन–कौन सुरक्षाकर्मियों किस–किस पाली मे तैनात किये जायेगें। उस सूची के प्राप्त होने पर संस्था द्वारा नियुक्त सुरक्षा सुपरवाइजर द्वारा सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति एवं किये गये कार्य का बिन्दुबार सत्यापन की व्यवस्था कर सत्यापित कर एक प्रति सुरक्षा एजेंसी को एवं एक–एक प्रति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय या उनके द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकरी को प्रस्तुत करेगें।

49. सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सुपरवाइजर यह भी देखेंगें की यहॉ वहॉ कोई गंदगी अथवा कचरा न फैलाये एवं यदि गंदगी अथवा कचरा फैलाया है तो उसे गंदगी करने अथवा कचरा फेकने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। फैले हुये कचरे एवं गंदगी की सूचना भी सफाई कर्मियों को देना होगी।

50. जो सुरक्षाकर्मी जिस स्थान पर ड्यूटी करेगा वह वहॉ के ड्यूटी रजिस्टर पर ड्यूटी शुरू करते समय एवं ड्यूटी छोडते समय हस्ताक्षर करेगा। कोई भी सुरक्षाकर्मी उस वक्त तक ड्यूटी नही छोडेगा जब तक आगे की ड्यूटी हेतु निर्धारित सुरक्षाकर्मी कार्य पर उपस्थित नही हो जाता है।इसकी उपस्थिति संबंधित विभागाध्यक्ष देगें।

51. गंभीर सुरक्षात्मक दृष्टि से निपटने के लिये सतत् 24 घण्टे कम से कम 6 सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित रहे व किसी स्थान पर अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर वहॉ तत्काल सहायता के लिये पहुॅच सके।

52. यदि कोई सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर जाता है तो उसके स्थान पर अन्य सुरक्षाकर्मी देना अनिवार्य होगा। इस हेतु रिर्जव सुरक्षाकर्मियों की लिस्ट अधीक्षक को देनी होगी अर्थात किसी भी दिन निर्धारित संख्या से सुरक्षाकर्मी कम नही होगें।

53. किसी कारणवश यदि निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत नियम, शर्तो एवं उसी दर पर निविदा कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा।

54. प्राप्त निविदाओं मे किसी एक अथवा सभी को बगैर कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा /अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को होगा।

55. निविदा मूल्याकंन के अनुसार ठेका जनहित/चिकित्सालय हित में स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा।

56. निविदा फार्म क्रय शुल्क वापस नही किया जावेगा। निविदा फार्म अहस्तातरणीय है।

57. न्यायालय संबंधी समस्त कार्यवाही रीवा न्यायालय के अन्तर्गत ही मान्य होगी।

56. सुरक्षा हेतु निधार्रित स्थान निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	स्थान
1.	गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा
2.	संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा
3.	यू.जी. छात्रावास, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
4.	पी.जी. छात्रावास, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
5.	कन्या छात्रावास, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

<u>प्रपत्र – ए</u>

(प्रथम लिफाफे में सील बंद करें तथा लिफाफें पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

अर्नेस्टमनी राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में

अर्नेस्ट मनी दस्तावेज उल्लेख करते हुये रखने हेतु

सुरक्षा ठेके हेतु अर्नेस्ट मनी से संबंधित डिमांड ड्राफट का विवरण :–

क्रमांक	डी.डी.का विवरण	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक / वैधता की तिथि

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर....................................
निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों)
संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः– ए

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरीत कर लिफाफे मे सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निविदाकार का नामः–

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु आव यक दस्तावेज	संलग्न पृश्ठ क्रमांक
1.	अर्नेस्टमनी रू. 3,00,000/–(रू. तीन लाख रूपये मात्र) का डी0डी. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय हो ।	
2.	सुरक्षा एजेंसी की स्थापना का पंजीयन क्रमांक तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र जिसमे सुरक्षा कार्य का लेख हो।	
3.	सुरक्षा एजेंसी के लिये संबंधित पुलिस विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।	
4.	सुरक्षा एजेंसी को 100 कर्मचारियों वाले कार्यालय/संस्था/अस्पताल मे सुरक्षा कार्य का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। प्रमाण में कार्य आदेश की छायाप्रति लगावें।	
5.	सेवा कर प्रदाता के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण पत्र लगावें।	
6.	वित्तीय वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15 के आयकर रिटर्न जमा करने की रसीद।	
7.	वित्तीय वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15 के सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट की छायाप्रति । जिसमे वार्षिक टर्न ओवर 30 लाख से अधिक हो।	
8.	वित्तीय वर्ष 2014–15 के सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की छायाप्रति	
9.	फर्म के पास शैक्षणिक रूप से योग्य चरित्रवान सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है इस आशय का घोषणा पत्र लगाना होगा।	

10.	ई.पी.एफ. पंजीयन की छायाप्रति ।	
11	ई.एस.आई. पजीयन की छायाप्रति ।	
12	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन कार्ड.) की छायाप्रति।	
13	रू. 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पर घोषण पत्र ।	
14	आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र की छायाप्रति	
15	प्राइस बिड	

नोटः–

शर्त– 1. तकनीकी बिड में अगर निविदाकार द्वारा कोई भी असत्य जानकारी दी जाती है, तो प्रबंधन द्वारा तत्काल निविदा अमान्य/निरस्त कर दी जावेगी तथा सुरक्षा राशि (धरोहर राशि) राजसात कर द्वितीय निविदाकार को जो तकनीकी योग्यता रखता होगा दे दी जावेगीं जिसके लिये निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

2. तकनिकी बिड मे प्रयुक्त समस्त प्रमाण पत्र को तकनिकी बिड के सीरियल न0 के अनुसार संलग्न करे।

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....
निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....
(स्पष्ट अक्षरो)
संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरीत कर लिफाफे मे सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषयः— सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा बाबत् ।

———0———

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र ....दिनांक ....मे प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ, कि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर कीसुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किये जा रहे है। निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेत भी संलग्न हैः—

1. अर्नेस्टमनी रू. 3,00,000/—(रू. तीन लाख रूपये मात्र) का डी0डी. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय है ।
2. सुरक्षा एजेंसी की स्थापना का पंजीयन क्रमांक तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र जिसमे सुरक्षा कार्य का लेख है।
3. सुरक्षा एजेंसी के लिये संबंधित पुलिस विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित छायाप्रति।
4. सुरक्षा एजेंसी को 100 कर्मचारियों वाले कार्यालय/संस्था/अस्पताल मे सुरक्षा कार्य का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। प्रमाण में कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें।
5. सेवा कर प्रदाता (सर्विस टैक्स)के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण पत्र लगावें।
6. वित्तीय वर्ष 2012—13,2013—14 एवं 2014—15 के आयकर रिटर्न जमा करने की रसीद।
7. वित्तीय वर्ष 2012—13,2013—14 एवं 2014—15 के सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट की छायाप्रति । जिसमे वार्षिक टर्न ओवर 30 लाख से अधिक हो।
8. वित्तीय वर्ष 2014—15 के सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की छायाप्रति।
9. फर्म के पास शैक्षणिक रूप से योग्य चरित्रवान सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है इस आशय का घोषणा पत्र लगाना होगा।
10. ई.पी.एफ. पंजीयन की छायाप्रति ।
11. ई.एस.आई. पजीयन की छायाप्रति ।
12. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन कार्ड.) की छायाप्रति।
13. रू. 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पर घोषण पत्र ।
14. आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
15. प्राइस बिड।

निविदाकार के हस्ताक्षर

100 रू0 (एक सौ रू.) के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करें

घोंशणा पत्र (ापथ पत्र)

1. मै/हम भारत के नागरिक हूँ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय मे तथा म.प्र. भाासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत नही किया गया है हमारी संस्था को किसी भी भाासकीय/अर्द्ध ाासकीय/स्व ाासी संस्था द्वारा काली सूची में नही रखा गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. भाासन के किसी विभाग द्वारा वहिश्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की भार्तो के अलावा अन्य कोई भार्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई भार्ते प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
7. मै/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी संबंधित नही है।
8. मेरे/ हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नही है।
9. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई0/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लंबित नही है। ना ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मै बाल श्रम कानून /श्रम कानून के प्रावधानों को पूर्णतः पालन करूंगा।`

गवाह के हस्ताक्षर

1. **गवाह का नाम..................................**
   पता ....
2. **गवाह का नाम.................................**
   पता ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....
पता..

संस्था का नाम एवं पता.........................
...

फोन एवं मोबा. न.– ....

गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

की सुरक्षा व्यवस्था हेतु

रेट सूची प्रपत्र –बी

मै/हम (फर्म) .... श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूॅ।

निविदा क्र0... दिनांक.....................................

सुरक्षा व्यवस्था के लिये मासिक दर

क्रमांक	विवरण	राशि अंको मे	राशि शब्दो मे
1.	निविदा प्रपत्र मे संलग्न सिड्यूल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के कार्य के लिये मासिक दर (कलेक्टर दर से कम नही) अ. सुरक्षा सुपरवाईजर 3 कुशल दर ब. सुरक्षा गार्ड 65 अर्द्धकुशल दर		
2	संस्था का व्यय		
3.	करो की राशि का उल्लेख अलग –अलग करें। ई.पी.एफ.– ई.एस.आई– सर्विस टैक्स –		
	कुल व्यय–		

टीपः–सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सुरक्षा गार्ड की दर कलेक्टर रेट से कम भरे जाने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

निविदा फार्म का मूल्य रू. 5000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक..........................

रसीद क्र...

दिनांक..........................